राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ 13( ) वृ.क./सा.सु./सान्याअवि/2022/51240 जयपुर, दिनांकः 16/08/2022

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2022–23 बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 29 की पालना में नवजीवन योजनान्तर्गत गाडोलिया, बंजारा, कालबेलिया, भोपा, नायक, गाडिया लुहार, पारदी, भेडकुट, रैबारी, सिकलीगर, सीगडीवाल, संगारवामी (शनि महाराज के भक्त), नाथ, बाजीगर, गुजराती एवं जंगलिया इत्यादि जाति/समुदायों को भी शामिल किया गया है।

राज्य में नवजीवन योजना में सम्मिलित जातियों का या सम्पूर्ण सर्वे कार्य सम्पादित किये जाने हेतु कार्यरत् पंजीकृत इच्छुक स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रस्ताव दिनांक 31.08.2022 तक कार्यालय समय तक आमंत्रित किये जाते है। अतः पात्र/इच्छुक स्वयं सेवी संस्था को आवेदन पत्र दिनांक 31.8.2022 तक कार्यालय समय में जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में जमा करवाने होगें। आवेदन पत्र विभागीय वैबसाईट sje.rajasthan.gov.in या जिला कार्यालय, सान्याअवि से प्राप्त किये जा सकते है।

नोटः–निविदा आवेदन पत्र व शर्ते विभागीय वैबसाईट से डाउनलोड कर सकतें है।

(हरि मोहन मीना)

निदेशक एवं सयुंक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ 13( ) वृ.क./सा.सु./सान्याअवि/2022/51241-47 जयपुर, दिनांकः 16/08/2022

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक, सूचना एव जनसम्पर्क विभाग, राज0 जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति का राज्य स्तर के दो समाचार–पत्र के समस्त संस्करणो मे प्रकाशन करावे।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर।
4. उप निदेशक, IT, मुख्यवास को भेजकर लेख है कि नवजीवन योजनान्तर्गत सर्वे हेतु जारी अभिरूचि की अभिव्यक्ति के संबंध में निविदा आवेदन पत्र व शर्ते विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करावे।
5. सहायक निदेशक, प्रचार–प्रसार, मुख्यवास को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. रक्षित पत्रावली।

17/8/XXII

अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)

E:/Navjeevan yojana/DLO.Letter

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

नवजीवन योजना सर्वे

आवदेन प्रपत्र

1.	स्वयंसेवी संस्था का नाम	....
2.	स्वयंसेवी संस्था का पूर्ण पता (ईमेल सहित)	....
3.	स्वयंसेवी संस्था का दूरभाष न.	....
4.	संस्था भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम/ ट्रस्ट/कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण नम्बर एवं दिनांक (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	....
5.	संस्था को नवजीवन योजना के क्षेत्र में कार्य करने का कितने वर्ष का अनुभव है तो अनुभव की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।	....
6.	गत तीन वर्षो की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट संलग्न करें।	....
7.	गत तीन वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करें।	....
8.	संस्था का आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा 12 ए के अन्तर्गत पंजीयन है/नहीं। यदि है तो पंजीकरण नम्बर एवं दिनांक अंकित करते हुये प्रमाण–पत्र संलग्न करें।	....

Scanned by CamScanner

9. संस्था का नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीयन है/नहीं। यदि है तो पंजीकरण नम्बर एवं दिनांक अंकित करते हुये प्रमाण–पत्र संलग्न करें। ....

10. क्या संस्था भारत सरकार/राज्य सरकार से किसी अन्य योजना में अनुदान प्राप्त कर रही है। (हाँ/ नहीं) यदि हाँ तो स्वीकृत अनुदान का गत तीन वर्ष का विवरण संलग्न करें। ....

11. क्या संस्था विदेशी अनुदान प्राप्त कर रही है। (हाँ/ नहीं) यदि हाँ तो पिछले तीन वर्ष का विवरण संलग्न करें। ....

12. संस्था/संगठन को पूर्व में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया या नहीं किये जाने सम्बंधित उद्घोषणा। विवरण संलग्न करें। ....

13. संस्था द्वारा कौन–कौन से कल्याणकारी कार्य किये जा रहे है। विवरण संलग्न करें। ....

....

14. अन्य विवरण ....

....

अध्यक्ष/सचिव

Scanned by CamScanner

स्वंयसेवी संस्थाओं की पात्रता एवं शर्तें :-

1. स्वंयसेवी संस्था/संगठन जो सोसायटी एक्ट/ट्रस्ट (न्यास) एक्ट/कम्पनी एक्ट में पंजीकृत हों।
2. नवजीवन योजना में कार्यरत स्वंयसेवी संस्था/संगठनों को प्राथमिकता दी जायेंगी।
3. स्वंयसेवी संस्था/संगठन जिस जिलें में कार्य करने के इच्छुक है, उस जिलें के जिला कार्यालय में 31.08.2022 के कार्यालय समय तक आवेदन जमा करवाना होगा।
4. स्वंयसेवी संस्था/संगठन का नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीयन आवश्यक होगा।
5. स्वंयसेवी संस्था/संगठन का विगत 03 वित्तीय वर्ष का ऑडिट स्टेटमेन्ट (प्राप्ति व भुगतान, आय-व्यय स्टेटमेन्ट)।
6. स्वंयसेवी संस्था/संगठन का विगत 03 वित्तीय वर्ष का बैलेस शीट हो।
7. स्वंयसेवी संस्था/संगठन का विगत तीन वित्तीय वर्षो का न्यूनतम औसतन 05 लाख का पूंजीगत निवेश हो।
8. स्वंयसेवी संस्था/संगठन को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कभी भी ब्लैक लिस्टेड अन्यथा डिफाल्टर नही करने की घोषणा पत्र की जानी आवश्यक है।
9. सर्वे कार्य OnLine Google Form में पूर्ण कर जिलाधिकारी को जमा करवाये जाने के पश्चात् ही भुगतान देय होगा।

Scanned by CamScanner